स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

2018

अटल श्रेष्ठ शहर योजना

दिशा-निर्देश

Urban Development Department

Transforming cities...

H.P.

शहरी विकास विभाग

टालैंड शिमला-02, हिमाचल प्रदेश

विषय - सूची

..... 0

1. परिचय 2

2. पात्रता मापदंड..... 2

3. मूल्यांकन के लिए संकेतक 2

4. प्रोत्साहन राशि..... 3

5. स्क्रीनिंग प्रक्रिया..... 3

6. आंकलन प्रक्रिया..... 4

7. समयरेखा 6

अनुबंध- क 7

अनुबंध - ख 10

अनुबंध - ग.....14

- **<u>परिचय</u>**: अनुबंध- "स"

शहरी क्षेत्रों को अक्सर 'विकास का इंजन' कहा जाता है।राज्य भर में शहरी क्षेत्रों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है उसके साथ ही मौजूदा शहरी क्षेत्रों की आबादी में भी वृद्धि देखी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है ।राज्य सरकार और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच शहरी स्थानीय निकाय एक कड़ी की तरह काम करता हैं । शहरी स्थानीय निकाय शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सेवाएँ प्रदान करता हैं जैसे की स्वच्छता, पार्क, सड़के, कचरा संग्रहण,स्ट्रीट लाइट इत्यादी जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय लोगों के जीवन में एक अहम् भूमिका अदा करता है। साफ़ और स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन जीने का आधार है । शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बढ़ाने के लिए, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है जिससे वो राज्य में रहने वाले शहरी आबादी को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास करते रहे । इस पहल को अंजाम देने के लिए राज्य सरकार ने “अटल श्रेष्ठ शहर योजना” को 1 अप्रैल 2018 से प्रभाव मे लाया है जिसके अंतर्गत स्वच्छता / सफाई और सार्वजनिक सेवाओं, इन दो संकेतको के आधार पर सबसे श्रेष्ठ नगरपालिका और नगर परिषद का चुनाव किया जायेगा । इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित एवम पुरस्कृत करना है जो नगर परिषद और नगर पंचायत अपने शहर कों साफ सुथरा रखने, आय में वृद्धि, सार्वजनिक सेवाओं देने, निर्माण नियमों को पालन करने, धनराशी के उपयोग करने, सार्वजनिक आधारभूत संरचना देने और सरकारी कामकाजो में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हो । सर्वोतम प्रदर्शन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर साल अटल बिहारी वाजपेयी (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) की जयंती पर 25 दिसंबर को "अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार" देकर सम्मानित किया जायेगा।

2. पात्रता मापदंड:

- यह योजना राज्य के सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए लागू है।
- राज्य के सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए इस योजना में भाग लेना अनिवार्य है ।
- अगर कोई भी शहरी स्थानीय निकाय झूठा दावा पेश करता पाया जाता है तो उसके अनुदान राशी मे झूठे दावे के समकक्ष कटौती करके उस शहरी स्थानीय निकाय को दंडित किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी ।

3. मूल्यांकन के लिए संकेतक:

सबसे बेहतर काम करने वाली नगर परिषद और नगर पंचायत का चयन विभिन्न संकेतकों के आधार पर किया जाएगा। नीचे दिए गए संकेतकों के विभिन्न पहलुओं के आधार पर हर एक संकेतकों और उप-संकेतकों को वैटेज (**weightage**) दी गई है।

शहरी स्थानीय निकाय की रैंकिंग विभिन्न संकेतको और उप-संकेतको में प्राप्त अंको के आधार पर कि जाएगी। आत्म मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति द्वारा आंकलन का प्रारूप **अनुबंध-ख** में दिया गया है । मूल्यांकन के लिए मानक और उनके अंक नीचे दिए गए हैं ।

अनु क्रमांक	संकेतक	अधिकतम स्कोर
1	**स्वच्छता / साफ-सफाई**	25
2	**लोक सेवा वितरण**	25
3	**आय में वृद्धि**	15
4	**निर्माण नियम**	10
5	**धनराशी की उपयोगिता**	10
6	**सार्वजनिक आधोसंरचना**	10
7	**नियमों के अनुसार**	5
जोड़		**100**

- **प्रोत्साहन राशि:**

अटल श्रेष्ठ शहर योजना के तहत पुरस्कृत नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है ।

अनु क्रमांक	स्थानीय निकाय प्रकार	पुरस्कार राशि
1	नगर परिषद	₹ 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये)
2	नगर पंचायत	₹ 75,00,000.00 (पचहत्तर लाख रुपये)

ध्यान दें: अगर किसी स्थान के लिए अंकों में बराबरी पायी जाती है तो पुरस्कार राशि को बराबर अंक प्राप्त करने वाली शहरी स्थानीय निकायों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

नीचे दी गयी दो श्रेणियों में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले चार स्थानीय निकायों कों चुनकर प्रत्येक कों ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपये) की राशि प्रदान करके पुरस्कृत किया जाएगा।

1. स्वच्छता / साफ-सफाई
2. लोक सेवा वितरण

यह 5 लाख रुपये वर्णित पुरस्कार राशि के अतिरिक्त होगा। राज्य के सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए योजना में भाग लेना अनिवार्य है ।

5. स्क्रीनिंग प्रक्रिया:

१. अटल श्रेष्ठ शहर योजना में आवेदन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक शहरी विकास विभाग के निदेशक को **अनुबंध-क** के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र पर अपना दावा पेश करना होगा ।

२. नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा भेजे गये आवेदन की जांच निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में "स्क्रीनिंग कमेटी" द्वारा किया जायेगा ।समिति के सदस्य निम्नलिखित होगे:

1. अतिरिक्त / संयुक्त / उप निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश ।
2. निदेशक, शहरी एवम ग्राम नियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि ।
3. सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
4. शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निदेशालय से एक अधिकारी
5. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास विभाग।, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।

३. नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा भेजे गये आवेदन की जांच करने और प्राप्त अंको के आधार पर "स्क्रीनिंग समिति" शीर्ष पांच नगर परिषद और शीर्ष पांच नगर पंचायत का चयन करेगी और उनका नाम अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव (शहरी विकास विभाग) को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजेगी।

४. अटल श्रेष्ठ शहर योजना में चयनित होने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को दिए गये पैरा-3/अनुबन्ध-ख के सभी सात संकेतकों पर कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक अर्जित करने होगें। 40% से कम अंक प्राप्त करने वाली स्थानीय निकाय को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए योग्य नहीं समझे जायेंगे ।

6. <u>आंकलन प्रक्रिया:</u>

१. “आंकलन समिति" द्वारा शीर्ष अंक अर्जित करने वाले सभी पांच नगर परिषद और नगर पंचायत के द्वारा किये गये दावों को सत्यापित करने के लिए फील्ड आंकलन/ सत्यापन किया जाएगा।

२. निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में 5 (पांच) सदस्यों की " आंकलन समिति " का गठन किया जायेगा जोकी भाग लेने वाली शहरी स्थानीय निकायों के दावों का मूल्यांकन और सत्यापन करेगी । समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:

1. निदेशक, शहरी एवम ग्राम नियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश या उनके प्रतिनिधि।
2. सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या उनके प्रतिनिधि।
3. शहरी विकास विभाग के दो प्रतिनिधि।

समिति स्थानीय निकाय में रहने वाले एक प्रतिष्ठित नागरीक कों जो गैर सरकारी संगठन या समाज से सम्बंधित हो को सदस्य के रूप में जोड़ सकती है। यदि किसी कारणवश निदेशक, शहरी विकास विभाग क्षेत्रीय दौरे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते है तो वह

उपयुक्त वरिष्ठता के किसी भी अधिकारी को उनकी तरफ से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित कर सकतें है। वह फील्ड मूल्यांकन को सिमित समय में पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार टीमों का गठन भी कर सकते है।

३. मूल्यांकन शुरू करने से पहले, "आंकलन समिति" **अनुबंध- ग** में दिए गये विवरण पर निष्पक्षता की शपथ लेगी और उसके बाद **अनुबंध- ग** के अनुसार शपथ प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगी।

४. फील्ड आंकलन के समय, अगर किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इस योजना के तहत प्रोत्साहन के दावे से संबंधित कोई भी सुचना झूठी पायी जाती है तो उससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसकी अनुदान राशी से झूठी पायी गयी सूचना के बराबर कटौती कि जाएगी।

५. शहरी विकास विभाग / मूल्यांकन समिति इस योजना में भाग लेने वाले किसी भी शहरी स्थानीय निकायों से दावों से सम्बंधित दस्तावेज के अतिरिक्त दस्तावेजों को मांगने का पूर्ण अधिकार रखती है।

६. आवेदनों की जांच और क्षेत्रीय आंकलन के आधार पर निदेशक, शहरी विकास विभाग, " अटल श्रेष्ठ शहर योजना " पुरस्कार जीतने वाली शहरी स्थानीय निकाय के नाम सरकार को भेजेगी । जिसके बाद दी गई प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत जीतने वाली नगर परिषद और नगर पंचायत का नाम घोषित करेंगी।

७. "अटल श्रेष्ठ शहर योजना" जीतने वाली शहरी स्थानीय निकाय की अंतिम घोषणा गठित राज्य स्तरीय एप्पेक्स समिति द्वारा किया,जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव। (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश करेंगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:

   १. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ वित्तविभाग
   २. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव (पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश
   ३. निदेशक, शहरी एवम ग्राम नियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश
   ४. निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश

८. किसी भी नगर परिषद और नगर पंचायत पर इस योजना में भाग लेने के लिए कोई अवरोध नहीं है, भले ही उसने पिछले वर्ष **अटल श्रेष्ठ शहर योजना** पुरस्कार जीता हो ।

९. इस योजना के तहत समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा और इसके संबंध में कोई भी अपील स्वीकार्य नहीं है।

१०. पुरस्कार राशि नगर परिषद या नगर पंचायत को दी जाएगी और ये राशि नगर परिषद या नगर पंचायत की आय का हिस्सा नहीं होगी। जीतने वाली शहरी स्थानीय निकाय अपने उन कर्मचारीयों को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना तैयार कर सकती हैं जिन्होंने किसी

विशेष श्रेणी में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस योजना में तहत रु. 5000/- (पांच हजार रुपए) तक का पुरस्कार हो सकता है। एक कर्मचारी को एक या एक से अधिक श्रेणी में पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लिए अधिकतम पुरस्कार राशि रु. 5000/- ही होगा ।

११. लिपिकीय गलतियों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा । स्क्रूटीनी कमेटी लिपिकीय गलतियों को सुधारने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को अतिरिक्त समय दे सकती है ।

7. समयरेखा:

यह प्रतिस्पर्धा हर साल करवाई जाएगी और यह पुरस्कार स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री)। की जयंती, 25 दिसंबर पर जीतने वाली नगर परिषद और नगर पंचायत को दिया जायेगा ।

****

अनुबंध- क

अटल श्रेष्ठ शहर योजना में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र - प्रोत्साहन योजना

1	आवेदक शहरी स्थानीय निकाय का नाम			
2	कार्यकारी अधिकारी / शहरी स्थानीय निकाय के सचिव का नाम, सम्पर्क करने के विवरण के साथ			
3	आवेदक स्थानीय निकाय की जनसंख्या			
4	क्षेत्रफल (वर्ग/ किमी।)			
5	परिवारों की संख्या			
6	स्थानीय निकाय के सभी वार्डों का विवरण	वार्ड नं	वार्ड नाम	वार्ड की जनसंख्या
7	प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों का विवरण	बाजार / वाणिज्यि क्षेत्र का नाम	वार्ड नं	व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या
8	समुदायिक / सार्वजनिक शौचालय की संख्या स्थानों के साथ	क्र.सं.	वार्ड नं	स्थान (चिन्ह)
9	शहर में स्थापित कूड़ेदानो की संख्या			
10	क्या सड़क पर सफाई दिन में एक या दो			

	बार की जाती है	
11	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र उपलब्ध है या नहीं। यदि हाँ, तो साइट / स्थान	
12	गन्दी बस्ती की संख्या स्थान के साथ	
13	खुले में शौच मुक्त की घोषणा की तिथि / प्रमाण पत्र के साथ	
14	पिछले वित्त वर्ष के दौरान आय (FY)	
15	पिछले वित्त वर्ष से पहले के दौरान आय	
16	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकरण किया जा रहा है या नहीं	
17	वर्ष के दौरान योजना नियोजन अनुमति मामलों के लिए प्राप्त की संख्या	
18	वर्ष के दौरान निश्चित समय रेखा के अनुसार किए गए कार्यों की संख्या	
ए)	पिछले वित्त वर्ष के दौरान अनधिकृत निर्माण मामलों रिपोर्ट की संख्या	
ख)	पिछले वित्त वर्ष के दौरान हटा दी गई अनधिकृत निर्माण की संख्या	
19	पिछले वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सभी योजनाओं (केंद्र / राज्य प्रायोजित योजना) के तहत प्राप्त कुल धनराशि	
20	पिछले वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक उपयोग धनराशि	
21	स्थानीय निकाय द्वारा बनाए गए सड़कों की कुल लंबाई	
ए)	पक्की सड़कों की लंबाई	
ख)	नगर पालिका की सड़कों पर नालियों की लंबाई	
22	स्थानीय निकाय में सभी पार्कों का कुल क्षेत्रफल	
23	अंतिम वित्त वर्ष के दौरान बनाए गए पार्कों की संख्या	
24	क्या पार्क के रखरखाव के लिए माली उपलब्ध है	

25	पांच वर्षों से अधिक लंबित ऑडिट पैरा की संख्या।	
26	पिछली ऑडिट में किए गए ऑडिट पैरा की संख्या ।	
27	पिछले वित्तीय वर्ष में समायोजित किये गये ऑडिट पैरा की संख्या ।	

<u>घोषणा</u>:

हम _____ / अध्यक्ष और ----------

/ कार्यकारी अधिकारी / सचिव, / नगर परिषद / नगर पंचायत ----------

-------घोषणा करते हैं कि हमने ' अटल श्रेष्ठ शहर योजना ' के दिशा निर्देश को पढ़ा और समझ लिया है और उपरोक्त जानकारी को आत्म -आंकन प्रपत्र के साथ आवेदन किया है । यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी एकदम सही और हमारे ज्ञान में है और स्थानीय निकाय द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार है। यदि उपलब्ध करवाई गई जानकारी गलत पाई जाती है तो, हम इस योजना के तहत प्रोत्साहन दावा करने के लिए झूठी जानकारी प्रदान करने के मामले में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यकारी अधिकारी / सचिव **अध्यक्ष,**

एम. सी. / एन. पी. _____, हि. प्र. **एम सी /**

एन पी _____, हि. प्र.

अनुबंध - ख

" अटल श्रेष्ठ शहर योजना " के लिए शहरी स्थानीय निकायों की रैंकिंग के लिए मानदंड

क्रमांक	मूल्यांकन पैरामीटर	अधिकतम अंक	स्थानीय निकाय द्वारा आत्म मूल्यांकन	मूल्यांकन समिति द्वारा दियागया मार्क्स
1।	**स्वच्छता / सफाई**:			
	a. पूरे शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रह किया जा रहा है ।	5		
	b. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम अधिसूचित / अपनाया गया ।			
	c. डोर-टू-डोर कचरा संग्रह के लिए SWM उपनियमों के तहत कि गई दरों की अधिसूचना है।	3		
	d. स्रोत पर ही ठोस कचरे का 100% पृथक्करण होता है ।	2		
	e. कूड़े के डिब्बे उपलब्ध है (नगर परिषद के लिए 50 *मीटर पर* और नगर पंचायत के लिए 25 *मीटर पर*)	3		
	f. कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है।			
	g. लैंडफिल साइट उपलब्ध है ।			
	h. गलियों की सफाई होती है:			
	-एक दिन में एक बार	3		
	-दिन में दो बार			
	i. खुले में शौच मुक्त (ODF) शहर:			
	-शहर द्वारा किए गए ODF की स्व-घोषणा।	1		
	- तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ODF शहर ।	1		
	j. लोक / सामुदायिक शौचालय शहर के हर 1KM की दूरी पर उपलब्ध है ।	1		
		1		

		1 2 2		
	उप-घटक के कुल योग	**25**		
2।	**<u>लोक सेवा वितरण</u>:** a. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत स्थानीय निकाय द्वारा कार्यालय के बाहर प्रदर्शित बोर्ड (Y/N) b. स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि को समय के भीतर प्रदान करने के लिए रजिस्टर या नहीं। c. क्या पीएसजी, अधिनियम के अनुसार सभी सेवाएं प्रदान की गई है d. क्या कार्यालय का पर्याप्त कंप्यूटरीकरण किया गया है। e. सार्वजनिक साइन बोर्ड प्रदर्शित किये गए है या नहीं f. जानकारी और शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन कार्य कर रही है g. शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाये गए कदम	5 5 3 3 3 3 3		
	उप-घटक के कुल योग	**25**		
3।	**<u>आय में वृद्धि</u>**: a. पिछले वर्ष से स्थानीय निकाय आय में वृद्धि (हां / नहीं) b. पिछले वर्ष से 1-25% की वृद्धि c. पिछले वर्ष से 26-50% की वृद्धि d. पिछले वर्ष से 50-100% वृद्धि	2 1 1 + 1 = 2		

	e. पिछले वर्ष से 100 से अधिक% की वृद्धि f. वर्तमान वर्ष में स्थानीय निकाय आय में वृद्धि के लिए किया गया कोई नयापन	1 + 1 + 1 = 3 1 + 1 + 1 + 2 = 5 2		
	उप-घटक के कुल योग	**15**		
4।	**<u>निर्माण विनियमन</u>:** - टीसीपी, अधिनियम के तहत प्रदान की गई निर्माण की अनुमति - पिछले वर्ष में अनधिकृत निर्माण का पता चला / रिपोर्ट किया गया - पिछले वर्ष में अनधिकृत निर्माण हटा दिया गया	 4 3 3		
	उप-घटक के कुल योग	**10**		
5।	**<u>धनराशी उपयोग</u>:** a. केन्द्र / राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत स्थानीय निकाय के लिए जारी किया धन का प्रतिशत - 0% - 40% - 41% - 60% - 61% - 80% - 81% - 100%	 1 1 + 2 = 3 1 + 2 + 3 = 6 1 + 2 + 3 + 4 = 10		
	उप-घटक के कुल योग	**10**		
6।	**<u>सार्वजनिक बुनियादी सुविधा</u>** a. सड़कें - सभी सड़के पक्की / पुख्ता (हां / नहीं) - सभी सड़कों के साथ साइड नालियां/ सड़कों का निर्माण (हां / नहीं) b. पार्क - स्थानीय निकाय के कुल क्षेत्रफल की तुलना पार्क के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत (कुल 2 मार्क्स)	 2 2		

	<5% **>** 5% (यदि पार्क का प्रतिशत 5% से अधिक है, तो कुल 2 अंक दिए जाएंगे) - पिछले वित्तीय वर्ष में बनाये गए पार्क (हां / नहीं) - बेंच सुविधा उपलब्ध हैं (हां / नहीं) - बाड़ लगवाया गया हैं (हां / नहीं) - माली उपलब्ध हैं या नामित हैं (हां / नहीं)	**1** **1 + 1 = 2** 1 1 1		
	उप-घटक का कुल	**10**		
7।	**<u>नियमों के अनुसार काम करते हैं:</u>** • क्या पिछले लेखापरीक्षा में किए गए किसी भी 'लेखापरीक्षा पैरा' करवाया गया है। • क्या लेखापरीक्षा पैरा 5 साल से अधिक के लिए लंबित है • क्या पिछले 'वित्त वर्ष में कोई भी' ऑडिट पैरा 'बस गया है	 1 2 2		
	उप-घटक का कुल	**5**		
	कुल योग	**100**		

अनुबंध - ग

अटल श्रेष्ठ शहर योजना

निष्पक्षता की शपथ

स्थानीय निकाय का नाम: _____तिथि :

_____

हम फील्ड मूल्यांकन समिति के सदस्य इस प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के आंकलन के लिए शपथ लेते हैं और बिना किसी डर, पक्षपात, स्नेह या दुर्भाग्य के उचित मूल्यांकन करेंगे । हम कसम खातें है कि हम इस कर्तव्य का पालन अखंडता और पूर्ण योग्यता के साथ बिना किसी दबाव के पूरा करेंगे ।

नाम व फील्ड मूल्यांकन समिति के सदस्य का पदनाम	**हस्ताक्षर**
अध्यक्ष	
निदेशक,शहरी एवम ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	
सदस्य सचिव ,हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	
शहरी विकास विभाग के आधिकारी	
शहरी विकास विभाग के आधिकारी	